राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 10(7) ग्रा.वि./नरेगा/संविदा/2010 जयपुर, दिनांक 11 DEC 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद सिरोही।

विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि के संबंध में उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्र. जिपसि/ग्रावि/नरेगा संस्थापन/2012/1730 दि.09.11.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के कम में लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि के संबंध में चाहा गया बिन्दुवार मार्गदर्शन निम्नानुसार है :–

1. संविदा कार्मिकों के द्वारा एक वर्ष की सेवाएं संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुबन्ध करते समय 10 प्रतिशत मानदेय बढोतरी मूल अनुबन्ध राशि पर ही देय है, जो इस विभाग के पत्र दिनांक 16.03.2010 द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की मूल अनुबन्ध राशि इस विभाग के पत्र दिनांक 01.06.2006 के अनुसार 4000/– प्रतिमाह एकमुश्त तय की गई थी। इसे संशोधन करके इस विभाग के पत्र दिनांक 11.05.2007 द्वारा रू. 10,000/– प्रतिमाह एकमुश्त निर्धारित की गई थी, जिसमें रू. 3000/– ग्रामीण भत्ता एवं रू. 2000/– यात्रा भत्ता शामिल था। इस आदेश के अनुसार उनकी मूल अनुबन्ध राशि रू. 5000/– प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। इस विभाग के पत्र दिनांक 28.12.2010 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का मानदेय रू. 13000/– प्रतिमाह एकमुश्त निर्धारित किया गया था। जिसमें रू. 3000/– ग्रामीण भत्ता एवं रू. 2000/– यात्रा भत्ता शामिल है। इस विभाग के पत्र दिनांक 02.02.2011 की बिन्दु संख्या VI में स्पष्ट रूप निर्देश दिये गये थे कि कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का मानदेय दिनांक 28.12.2010 को ही रू. 3000/– बढाया गया है। अतः इनको 10 प्रतिशत वार्षिक

मानदेय बढोतरी दिनांक 28.02.2012 तक देय नहीं होगी। इसके बाद इनकी संविदा सेवाएं जारी रखने की स्थिति में तथा इनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर वार्षिक 10 प्रतिशत मानदेय बढोतरी रू. 8000/– पर ही देय होगी।

3. संविदा कार्मिकों को वार्षिक मानदेय बढोतरी उनके एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से ही देय होगी।

4. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

5. इस विभाग के परिपत्र दिनांक 28.02.2011 में ग्राम रोजगार सहायकों के बारे में इस आशय के स्पष्ट निर्देश दे दिये गये थे कि वे इस परिपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक–क के अनुसार पूर्व अनुबन्ध का नवीनीकरण करवा लेते है तथा उनके द्वारा दायर याचिका वापिस लेने की लिखित में सहमति दे देते है तो उन्हें बढा हुआ मानदेय दे दिया जावे। उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 10 प्रतिशत वार्षिक बढोतरी भी दे दी जावे। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के संबंध में भी यह निर्देश दिये गये थे कि यदि वे नये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर देते है तो उन्हें बढा हुआ मानदेय रू. 13000/– मासिक दे दिया जावे। अनुलग्नक–क में संलग्न अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में उन्हें मानदेय स्थगन के दिन मानदेय के अनुसार ही देय होगा तथा वार्षिक मानदेय बढोतरी भी उसी मानदेय पर देय होगी।

यही शर्त लेखा सहायकों के संबंध में भी लागू होती है, जो इस विभाग के पत्र दिनांक 24.01.2012 को जिला कार्यक्रम समन्वयक, उदयपुर को लिखा गया था। यदि लेखा सहायकों की याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है एवं उनमे आगे स्थगन प्रभावी है। यदि ऐसे लेखा सहायकों ने इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2011 के साथ संलग्न अनुलग्नक–क पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा उनके द्वारा दायर याचिका वापिस लेने की लिखित में सहमति दे दी है तो ऐसी स्थिति में इन्हें भी सेवा संतोषजनक होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि दे दी जाये।

भवदीय

(बद्री नारायण)
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा (समस्त)
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवम् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त (सिरोही के अलावा)।

अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा)